न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. 144 / 2025

श्रवण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बान्दनवांड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा प्रकरण संख्या 301 / 2024–25

उपस्थितः–

1. श्री सुनिल जैन अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रूपपुरा के खसरा नं. 1307 रकबा 4.83 हैक्ट. पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हलका ने नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर नायब तहसीलदार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। आगामी तारीख पेशी को अपीलान्ट मय अधिंवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र एवं वकालतनामा को बिना पत्रावली में संलग्न किये दिनांक 19.03.2025 को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी बाबत एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में 4750 / 2015 बउनवानी श्रवण बनाम राजस्थान सरकार में आदेश दिनांक 11.08.2015 से स्थगन आदेश जारी किया गया और आगामी तारीख पेशी अभी नियत है लेकिन नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा बिना उक्त प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिये अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये दिनांक 19.03.2025 को बेदखली आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट का विवादगस्त आराजी पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी बाबत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विचाराधीन है जिनमें नायब तहसीलदार एवं पटवारी हल्का पक्षकार है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करने को पत्रावली में संलग्न ही नहीं किया और ना ही उस पर किसी प्रकार का तर्क पारित किया। अपीलान्ट भूमिहीन गरीब काश्तकार है। अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कराकर जवाब एवं मूल रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई। अपीलान्ट वकील ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये, बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अपीलान्ट को अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित किया। अपीलान्ट के जवाब एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी रिकार्ड पर नहीं लिया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश होने के बावजूद आक्षेपित आदेश पारित किया। जबकि मौके

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

पर अपीलान्ट का उसके पूर्वजों के समय से लगभग 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा ग्राम रूपपुरा स्थित चारागाह खसरा नं. 1307 रकबा 3.20 हैक्ट0 भूमि पर चना की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया जाकर बाद सुनवाई आदेश पारित किया है। अतिक्रमी के विरूद्ध नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। किसी न्यायालय स्थगन की प्रति, जवाब एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। ना ही प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत किये है जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार्य हो।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 301/2024–25 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 को यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10/2/26

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

चन्द्रशेखर भण्डारी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी